

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/1238-53

दिनांक : 16/08/2019

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(स)(5)स्था./डीटीए/319-336 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग के जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में दर्शाते हुए अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर 15 दिवस की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि तक इस अन्तरिम वरिष्ठता सूची में दर्शाई गई वरिष्ठता के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यालय आदेश क्रमांक 319-336 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची समझा जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/1238-53

दिनांक : 16/08/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावे।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री/श्रीमती पर.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)